निर्णय न्यायालय श्री अनूप सिंह आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू.	तारीख निर्णय
235/2023	23.01.23	11.07.24

1 भादर सिंह मीना पुत्र टीपूराम आयु 37 साल जाति मीना निवासी ग्राम शिवाला तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी – प्रार्थी

बनाम

1. लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :– श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 168 खसरा नंबर 1154/1571 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 1177 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 1248 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 1249 रकबा 0.66 है0, खसरा नंबर 1251 रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 1252 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह, खसरा नंबर 524 रकबा 0.20 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.83 है0 में हिस्सा 1/20 दर्ज है। इसके साथ ही साथ खाता सं0 169 खसरा नंबर 531 रकबा 0.04 है0 में हिस्सा 1/30 हाल जमावंदी में दर्ज है तथा खाता संख्या 167 के खसरा नंबर 1151 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 1152 रकबा 0.46 है0, खसरा नंबर 208 रकबा 1.19 है0, खसरा नंबर 555 रकबा 0.28 है0, खसरा नंबर 556 रकबा 0.52 है0, खसरा नंबर 557 रकबा 0.28 हे0, खसरा नंबर 559 रकबा 0.12 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.95 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/10 हाल जमावंदी में दर्ज है। उक्त आराजियात में प्रार्थी के हिस्से से किसी दीगर व्यक्ति का कोई संवंध वास्ता नहीं है। प्रार्थी के पिता स्व0 टीपूराम की मृत्यु के पश्चात् विरासत के नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से एवं भ्रामक रूप से बहादुर सिंह लिख दिया है जो गलत है। प्रार्थी का समस्त सराकरी एवं घरेलू दस्तावेजों में जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक इत्यादि में सही नाम भादर सिंह दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड जमावंदी में गलत नाम इन्द्राज होने की वजह से प्रार्थी को सरकार की कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है एवं बैंकों से केसीसी लेने में भी गलत नाम होने की वजह से परेशानी आ रही है। उक्त त्रुटि सद्भाविक है जिसको न्यायहित में सही करना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य से भी होना संभव नहीं है। वलिहाज भूमि एवं निवास स्थान पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का पूर्ण अधिकार है। तहसीलदार वजीरपुर नामान्तकरण तस्दीक करने बावत् अधिकारी है इसलिए आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि खाता संख्या 167, 168, 169 में दर्ज बहादुर सिंह पुत्र टीपूराम के स्थान पर भादरसिंह पुत्र टीपूराम करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, जनआधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका की प्रति पेश की

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत शिवाला का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार वजीरपुर को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार वजीरपुर ने अपने पत्रांक 533 दिनांक 26.06.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम शिवाला पटवार मण्डल शिवाला की जमाबंदी संवत् 2075–78 के खाता संख्या 168 किता 7 रकबा 1.83 है0 में प्रार्थी का नाम बहादुर सिंह पुत्र टीपूराम हिस्सा 1/20, खाता संख्या 169 किता 1 रकबा 0.04 है0 में प्रार्थी का नाम बहादुर सिंह पुत्र टीपूराम हिस्सा 1/30, खाता संख्या 167 किता 7 रकबा 2.95 है0 में प्रार्थी का नाम बहादुर सिंह पुत्र टीपूराम हिस्सा 1/10 दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी का नाम समस्त सरकारी दस्तावेजों यथा पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, अंकतालिका कक्षा 10 आदि में भादरसिंह पत्रु टीपूराम दर्ज है जो सही है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से भादरसिंह के बजाय बहादुर सिंह दर्ज हो गया है। जांच के दौरान पाया गया कि भादरसिंह एवं बहादुर सिंह एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से भादरसिंह के बजाय बहादुर सिंह दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम भादरसिंह मीना पुत्र टीपूराम है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी लैण्ड होल्डर ने पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस पर मनन तथा पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2075–2078 के खाता सं. 167, 168, 169 में दर्ज प्रार्थी के नाम बहादुर सिंह पुत्र टीपूराम के स्थान पर भादर सिंह पुत्र टीपूराम किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम शिवाला की जमाबंदी सं0 2075 से 2078 के खाता सं. 167, 168, 169 में में दर्ज प्रार्थी के नाम बहादुर सिंह पुत्र टीपूराम के स्थान पर भादर सिंह पुत्र टीपूराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 11.07.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर्यन सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (गंगापुर सिटी)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर